

FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मुकाम - सवाई माधोपुर

वकील का नाम

वनाम

मैदिरी लक्ष्मी लक्ष्मी महापात्र

किस्म मुकदमा

225 PACT

मुकदमा नं.

53/2024/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/9/24	<p>अपील श्री रैसाक कल्ले एडवोकेट पेश की। अपील बाद जोंच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील वर्ज रजि. है। अपीलॉट एड. को एडमिशन पर सुना गया अपीलॉट अपीलॉट कलेक्टर का अवलोकन किया गया अपीलॉट द्वारा उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पत्र सं सं 343/24 में पारित नियम डिंड 28-8-24 के विरुद्ध पेश की गई है। जिसमें काबिलुख न्यायालय द्वारा दिंड 29.7.24 को जारी कियाई निषेधाज्ञा को वेबेद किया गया है एवं पत्रावली वाले बखर हट दिंड 12/9/24 नियत की गई है। यू डि. महरा में कल्ले अपीलॉट निषेधाज्ञा के वेबेद कर कल्ले बखर में नियत की गई है अपील कलेक्टर काबिलुख न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। अतः महरा उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ सविशेषित किया जाता है कि महरा में नियत दिंड को उभयपक्ष की बखर सुनी जाकर पत्र सं का सिद्धांत अनुक्रम निवाण की। पत्रावली केसल सुनाए होकर बाद तकमिल काबिलुख रिपोर्ट होवे।</p>	